अव्यवस्था | रोज़ कचरा नहीं उठने से रहवासियों की बढ़ी परेशानी

गंदगी के कारण वार्ड में बढ़े मच्छर, शाम को खड़े होना मुश्किल

नवभारत, जबलपुर। शहर के अधारताल स्थित खजांची नगर के सब्जी मंडी क्षेत्र में स्थानीय लोग लंबे समय से मूलभूत समस्याओ से परेशान हो रहे है। जैसा कि नवभारत से चर्चा के दौरान लोगों का कहना था कि इलाके में सफाई व्यवस्था बेहद कमजोर हो रही है, जिसके कारण रहवासियों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।क्षेत्र की नालियों की सफाई नियमित रूप से नहीं होने से गंदा पानी जमा रहता है। रहवासियों के अनुसार सप्ताह में केवल एक दो बार ही नालियां साफ की जाती हैं, जबकि कई जगहों पर कचरा और कीचड़ लंबे समय तक जमा रहता है। गर्मी के मौसम में इससे मच्छरों की समस्या और बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि शाम होते ही मच्छरों का खतरा इतना बढ़ जाता है कि घरों के बाहर बैठना मुश्किल हो जाता है।

बीमारियों के फैलने का डर

स्थानीय नागरिकों ने बताया कि कचरा उठाने वाली गाड़ी भी नियमित रूप से नहीं आती। कई बार दो से तीन दिन तक वाहन नहीं पहुंचते है जिससे घरों का कचरा गलियों और खाली स्थानों पर जमा होने लगता है। इससे क्षेत्र में गंदगी फैल रही है और संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की व्यवस्था भी असरदार नहीं दिख रही है वार्ड में अब कभी-कभार ही कचरा वाहन आते है। कई इलाकों में चार-चार दिन तक कचरा गाड़ी नहीं पहुंच रही। लोग घर में कचरा जमा करके परेशान हो रहे हैं। स्वच्छ शहर बनाने की पहल कचरा वाहन नियमित नहीं आने से सफल नहीं हो रही। इंतजार के बाद मजबूरी में कचरा फिर इधर-उधर फेंकना पड़ता है।

इनका कहना है

नालियों में गंदगी भरी रहती है और मच्छर बहुत बढ़ गए हैं। बच्चों को बाहर भेजने में भी डर लगता है।

राजेश ठाकुर
रहवासी, खजांची नगर

गंदगी और भरी नालियों की वजह से काफी परेशानी होती है। शाम के समय मच्छर इतने बढ़ जाते हैं कि बाहर खड़ा होना मुश्किल हो जाता है।

अनुराग तिवारी, वार्ड वासी

मेरे द्वारा जल्द ही रहवासियों की समस्या का समाधान किया जाएगा। पूरी कोशिश रहेगी कि आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो।

विमल राय, पार्षद, अब्दुल हमीद वार्ड

बदमाशों का उपद्रव, अधिवक्ता के घर में तोड़फोड़

अधिवक्ताओं ने घेरा थाना दर्ज हुई एफआईआर

जबलपुर। भेड़ाघाट थाना अंतर्गत प्रज्ञा कॉलोनी सहजपुर में बदमाशों ने उपद्रव मचाते हुए एक अधिवक्ता के घर में तोड़फोड़ कर दी। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने थाना घेर लिया इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की ।

पुलिस के मुताबिक रविवार शाम अधिवक्ता राजेश कुशवाहा 42 वर्ष निवासी प्रज्ञा कालोनी सहजपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसने 27 दिसम्बर 24 को मौजा सहजपुर खसरा नम्बर 231/42 कुल क्षेत्रफल 25 वाई 40 वर्गफिट भूमि स्वामी गोपाल उर्फरामगोपाल कुश्वाहा से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय किया था जिसमें 550 वर्गफिट में 4 कमरे बने हुये थे जिसमें 2 किरायेदार सदासुखी पटेल एवं रोहित पटेल रह रहे थे, रोहित पटेल ने मकान खाली कर दिया था जिसमें उसने अपना घरेलू सामान रख लिया था। रविवार दोपहर लगभग 2 बजे वह अपने घर नहीं था उसका छोटा भाई कृष्णकुमार घर पर था तभी रविन्द्र पटेल, अंशुल पटैल, अंकित पटेल तीनों उसके घर में जबरदस्ती उसके घर में आ गये फिर बाद में सुखचैन पटेल एवं विनोद पटेल भी घर में घुस गये। उसका घरेलू सामान बाहर फैंक दिये जिसकी सूचना उसे छोटे भाई कृष्णकुमार ने फोन से बतायी, वह तुरंत पहुंचा तो देखा कि उसके घर में रखा सामान कूलर फ्रिज टेबल, गैस सिलेण्डर, बर्तन सायकिल आदि सामान बाहर फेंककर तोड़फोड़ कर रहे थे, उसने मना किया तो उसके साथ अभद्रता की और जान से मारने की धमकी दी। मामले की जानकारी जैसे ही अधिवक्ताओं को लगी तो वे पीड़ित अधिवक्ता के साथ भेड़ाघाट थाने पहुंच गए जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई ।

प्रॉपर्टी डीलर को पहले कार से मारी टक्कर फिर चाकू से गोदा

जबलपुर। माढ़ोताल थाना अंतर्गत लाल हवेली होटल के पास बीती रात कार सवार दो युवकों ने पहले एक प्रॉपर्टी डीलर की बाइक को टक्कर मारकर गिराया और फिर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सुरेंद्र पटेल (42) निवासी माढ़ोताल शांताकुंज का प्रॉपर्टी का कारोबार करता हैं, बीती रात करीब 12:30 बजे अपने साथी पंकज श्रीवास्तव के साथ बाइक पर घर लौट रहा था उनके पीछे विशाल

सोनी अपनी कार एमपी 20 जेड एल 9151 में मोहित नामक युवक के साथ आ रहा था। जैसे ही सुरेंद्र और पंकज लाल हवेली होटल के पास शांताकुंज की ओर मुड़ने लगे, पीछे से आ रहे विशाल और मोहित ने जान से मारने की नियत से उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही दोनों सड़क पर गिर पड़े। सुरेंद्र पटेल ने पुलिस को बताया कि जब वे संभलकर पंकज को उठाने लगे, तभी कार से विशाल और मोहित नीचे उतरे और विवाद करने लगे। विरोध करने पर मोहित ने सुरेंद्र का गला दबोच लिया और विशाल सोनी ने पास रखे चाकू से सुरेंद्र के सीने के नीचे और पेट पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले के बाद दोनों आरोपी अपनी कार लेकर मौके से फरार हो गए। घायल सुरेंद्र को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ित के बयान दर्ज कर आरोपी विशाल सोनी और मोहित के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

गेहूं उपार्जन पर फेसबुक लाइव 12 को

जबलपुर। गेहूं उपार्जन व्यवस्था से जुड़े विषयों पर जिले के किसानों से फेसबुक लाइव के माध्यम से संवाद का कार्यक्रम मंगलवार 12 मई को शाम 4 बजे से होगा। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देशानुसार फेसबुक लाइव का यह कार्यक्रम जिला प्रशासन के आधिकारिक फेसबुक पेज कलेक्टर जबलपुर पर होगा। किसान इस कार्यक्रम से जुड़कर उपार्जन से जुड़े विषयों पर अपनी जिज्ञासा का समाधान प्राप्त कर सकेंगे, अपनी कठिनाइयों को बता सकेंगे तथा उपयोगी सुझाव भी दे सकेंगे। गेहूं उपार्जन पर फेसबुक लाइव के कार्यक्रम में किसानों के सवालों का जबाब उपार्जन व्यवस्था से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी देंगे।

एक साथ रहने राजी हुए पति-पत्नी, बच्चों को मिलेगा बेहतर भविष्य

जबलपुर, नवभारत। शनिवार को उच्च न्यायालय में हुई नेशनल लोक अदालत में आपसी मन मुटाव को भूला कर पति पत्नी एक साथ आए। मामला कुछ इस प्रकार था जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली एक महिला अपने पति द्वारा परित्याग किए जाने के बाद गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रही थी। उसकी आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं था और वह अपने इकलौते नाबालिग बेटे के पालन-पोषण और शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी अकेले उठा रही थी। बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, उसके पति ने परिवार के भरण-पोषण के लिए कोई आर्थिक सहायता देने से इनकार कर दिया। बुनियादी घरेलू खर्चों को भी पूरा करने में असमर्थ, पीड़ित महिला ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण के लिए कानूनी सहायता अधिकारियों से संपर्क किया। परामर्श और उसकी परिस्थितियों के सत्यापन के बाद, उसे कानूनी सहायता वकील के माध्यम से नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान की गई।

परिवार न्यायालय के समक्ष उठा मामला

विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के प्रयास में मामले को पहले मध्यस्थता के लिए भेजा गया। कई परामर्श सत्र आयोजित किए गए, जिनमें दोनों पक्षों को सुलह करने और बच्चे के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। हालांकि सुलह नहीं हो सकी, लेकिन मध्यस्थता प्रक्रिया ने मुद्दों को सीमित करने और परिवार के प्रति पति की जिम्मेदारी स्थापित करने में मदद की। इसके बाद, मामला जबलपुर के प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय के समक्ष उठाया गया। कानूनी सहायता वकील ने पति की आय और महिला एवं उसके बच्चों की आर्थिक कठिनाइयों के संबंध में प्रभावी ढंग से साक्ष्य प्रस्तुत किए।

बच्चों के लिए माने पति-पत्नी

दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद, आपसी समझौते से पति पत्नी और बच्चे का भरण-पोषण करने के लिए तैयार हो गया। समय पर कानूनी हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप, महिला अपने परिवार के लिए आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने में सक्षम हुई। पति-पत्नी दोनों बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक साथ रहने के लिए तैयार हो गए। लाभार्थी ने अपना आत्मविश्वास और सम्मान वापस दिलाने के लिए कानूनी सहायता प्रणाली के प्रति आभार व्यक्त किया। यह मामला पारिवारिक विवादों में कमजोर महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए सुलभ कानूनी सहायता और मध्यस्थता तंत्र के महत्व को उजागर करता है।

एक नजर में

कॉम्बिंग गश्त : 290 वारंटी पकड़ाए

जबलपुर। शहर से लेकर ग्रामीण अंचल की पुलिस ने कॉम्बिंग गश्त की। इस दौरान कई वर्षों से फरार 134 गैर म्यादी वारिटयों एवं 66 गिरफ्तारी वारंट तामील किए गए। 90 जमानती वारंट भी तामील किए गए है। अधिकांश आरोपी लंबे समय से पुलिस से बचते फिर रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इसके साथ ही कांबिंग गस्त के दौरान सक्रिय गुंडे बदमाशों को चेक करते हुए देर रात आने जाने वालों से रोक-टोक पूछताछ एवं रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैंड के साथ-साथ मुसाफिरखाना में संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग की गई। कॉम्बिग गस्त के दौरान वारंटी एवं लंबित मामलों में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए शहर एवं देहात के थानों में पदस्थ लगभग अधिकारी एवं कर्मचारियों की टीमें बनाई गई, एक टीम के प्रभारी थाना प्रभारी स्वयं थे, अन्य टीम के प्रभारी उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी थे। कॉम्बिंग गश्त अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय के निर्देश पर रात्रि 9 बजे से रात्रि 2 बजे तक एएसपी ग्रामीण सूर्यकांत शर्मा, नगर पुलिस अधीक्षकों के मार्ग निर्देशन में कराई गई।

गांजा तस्करी के तार शहडोल से जुड़े

जबलपुर। संजीवनी नगर पुलिस ने मचान फैमिली ढाबा के पास कल घेराबंदी कर एक 65 वर्षीय बुजुर्ग को गिरफ्तार किया था जिसके पास से भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ था। पूछताछ में गांजा तस्करी के तार शहडोल से जुड़े हैं। पकड़ा गया आरोपी शहडोल से गांजे की खेप लाकर जबलपुर में खपाने की फिराक में था। पुलिस ने बताया कि अंधमुख बायपास से जसूजा सिटी के बीच अवैध गांजा लेकर तस्करी के उद्देश्य से घूम रहे शिवबालक पटेल (65) निवासी ग्वारीघाट को पुलिस ने मचान फैमिली ढाबा के पास स्थित ट्रांसफार्मर के पास घेराबंदी कर दबोचा था। जब पुलिस ने उसके हाथ में मौजूद सफेद-लाल रंग के थैले की तलाशी ली, तो दंग रह गई। थैले के भीतर भगवा रंग के गमछे में लिपटे हुए गांजे के 3 पैकेट मिले थे बरामद गांजे का कुल वजन 3 किलो 110 ग्राम पाया गया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1 लाख 55 हजार 500 रुपये है। पूछताछ में आरोपी शिवबालक ने स्वीकार किया कि वह यह माल ब्यौहारी जिला शहडोल निवासी शिवे नामक व्यक्ति के कहने पर लाया था। शिवे ने उसे यह खेप जबलपुर लाकर किसी खास व्यक्ति को सौंपने दिया था। पुलिस अब इस मामले में मुख्य सरगना शिवे और जबलपुर में गांजा लेने वाले नेटवर्क की तलाश कर रही है। पुलिस ने आरोपी के पास से 3 किलो 110 ग्राम अवैध गांजा, एक मोबाइल, दो ट्रेन टिकट , पर्स और गमछा जप्त कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की विस्तृत जांच जारी है।

120 लीटर डीजल समेत दो पकड़ाए

जबलपुर। चरगवां पुलिस ने डीजल के अवैध कारोबार में दो युवकों को दबोचा है जिनके कब्जे से 120 लीटर डीजल एवं स्कूटी जप्त किए गए है। चरगवां थाना प्रभारी अभिषेक प्यासी ने बताया कि बिना नम्बर की स्कूटी में डीजल लेकर बेचने के लिये जबलपुर से चरगवां तरफ जा रहे चालक रोहित ठाकुर गौड़ 22 वर्ष एवं पीछे बैठे हर्षित ठाकुर गौड़ 19 वर्ष दोनों निवासी डगडगा हिनौता को घेराबंदी कर गुररहा से दबोचा गया । रोहित ठाकुर ने पूछताछ पर बिना नम्बर की स्कूटी का रजिस्ट्रेशन नम्बर एमपी 20 जेड व्ही 6708 दिखाया। चैक करने पर स्कूटी में रखे चारों डिब्बों में 30-30 लीटर कुल 120 लीटर डीजल कीमती लगभग 11 हजार रूपये का भरा मिला। आरोपित अवैध रूप से असुरक्षित व उतावलेपन से स्कूटी में ज्वलनशील पदार्थ डीजल का आम रोड पर परिवहन मिले जिनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। डीजल जब्त किया गया।

प्रेम विवाह के बाद पति की प्रताड़ना, बेवफाई से तंग आकर पत्नी पहुंची थाने, मामला दर्ज

जबलपुर। हनुमानताल थाना अंतर्गत सिद्धबाबा रोड में प्रेम विवाह के बाद एक साल में पति दहेज के लिए पत्नि को प्रताड़ित करने लगा बल्कि दूसरी महिला के चक्कर में उसका दुश्मन बन बैठा है। बेवफाई से तंग आकर पत्नी ने थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया है।

पुलिस ने बताया कि सिद्धबाबा रोड निवासी 35 वर्षीय श्रीमती एकता चौधरी ने 16 मई 2018 को भवानी चौक निवासी जितेंद्र चौधरी से प्रेम विवाह किया था। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक था, लेकिन महज एक साल के भीतर ही पति ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। जितेंद्र

अक्सर छोटी-छोटी घरेलू बातों और दहेज की मांग को लेकर एकता को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। एकता ने अपनी शिकायत में बताया कि वर्ष 2022 में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। उसे लगा कि शायद पिता बनने के बाद जितेंद्र के व्यवहार में बदलाव आएगा, लेकिन प्रताड़ना का सिलसिला और बढ़ गया। पति आए दिन उनके साथ मारपीट करने लगा। हालात इतने बिगड़ गए कि एकता को मजबूरन अपने मायके में शरण लेनी पड़ी। पीड़िता ने बताया कि जितेंद्र का किसी अन्य लड़की के साथ संबंध है, जिसके चलते वह उसे और बच्चे को पूरी तरह नजरअंदाज करने लगा। उसने न केवल एकता और बेटे का खर्च देना बंद कर दिया, बल्कि उसके नाम पर एक लोन भी ले लिया, जिसकी किस्तें वह जमा नहीं कर रहा है। जब भी एकता अपने हक के पैसे मांगती, तो उसे बेरहमी से पीटा जाता है। पुलिस ने आरोपी जितेंद्र चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

बाल कल्याण समिति जबलपुर अध्यक्ष को पद से हटाया गया

जबलपुर। महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा आदेश जारी कर बाल कल्याण समिति, जबलपुर के अध्यक्ष मनीष व्यास को पद से हटा दिया गया है। दरअसल समिति सदस्य ने शिकायत की थी । जिसके बाद मामले की जांच कराई गई जिसमें समिति की महिला सदस्यों के प्रति उनका व्यवहार असंयमित और गरिमा के अनुरूप नहीं पाया जाने पर उन्हें पद से हटाया गया है। जानकारी के अनुसार बाल कल्याण समिति, जबलपुर के अध्यक्ष मनीष व्यास के खिलाफ समिति की सदस्य मेघा पवार द्वारा शिकायत की गई थी। जिसके बाद शिकायत की जांच अनुविभागीय दण्डाधिकारी रांझी, जबलपुर से कराई गई। जांच प्रतिवेदन में समिति की महिला सदस्यों के प्रति उनका व्यवहार असंयमित और गरिमा के अनुरूप नहीं पाया गया।

सुनवाई में बताया प्रशासनिक मतभेद, जांच में उठा पर्दा

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा व्यास को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर जवाब मांगा गया था। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी सुनवाई भी की गई। श्री व्यास ने अपने जवाब में पूरे मामले को प्रशासनिक मतभेद बताया, लेकिन जांच प्रतिवेदन, साक्षियों के बयान और सुनवाई के आधार पर विभाग ने पाया कि उनका आचरण बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पद की गरिमा और जिम्मेदारी के अनुरूप नहीं था।

व्यवहार समिति की आचार संहिता-किशोर न्याय नियमों के विपरीत

विभाग ने यह भी माना कि उनका व्यवहार समिति की आचार संहिता और किशोर न्याय नियमों के विपरीत है। इसके आधार पर आदेश जारी कर किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा के तहत मनीष व्यास को बाल कल्याण समिति, जबलपुर के अध्यक्ष पद से पृथक कर दिया गया है। राज्य शासन द्वारा मनीष व्यास को 24 अक्टूबर 2024 की किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत बाल कल्याण समिति जबलपुर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

21 हजार किसानों से खरीदा गया 12 .63 लाख क्विंटल गेहूं

किसानों को 139 करोड़ का भुगतान

जबलपुर । जिले में समर्थन मूल्य पर अभी तक 21 हजार 078 किसानों से 12 लाख 63 हजार 230 क्विंटल गेहूँ की खरीदी की जा चुकी है। किसानों को उनसे उपार्जित गेहूँ के भुगतान में भी तेजी आई है और 139 करोड़ 36 लाख रुपये का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूँ का उपार्जन 70 खरीदी केंद्रों के माध्यम से किया जा रहा है। अभी तक खरीदे गेहूँ की 96 प्रतिशत मात्रा का परिवहन हो चुका है तथा खरीदी के विरुद्ध 79.79 फीसदी मात्रा के स्वीकृति पत्रक भी जारी कर दिये गये हैं। जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं का विक्रय करने 50 हजार 788 किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया था। इनमें से अभी तक 36 हजार 946 किसानों द्वारा स्लॉट बुक कराये जा चुके हैं। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने किसानों को उनकी उपज का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने गेहूँ के परिवहन और भंडारण तथा स्वीकृति पत्रक जारी करने में तेजी लाने की हिदायत उपार्जन व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों को दी है। श्री सिंह ने खरीदी केंद्रों का नियमित भ्रमण करने तथा किसानों के नाम पर उपार्जन व्यवस्था का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश करने वाले व्यापारियों और बिचौलियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने

के निर्देश भी अधिकारियों को दिये हैं।

डीएसओ लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध हुई सुविधा

कलेक्टर कार्यालय की खाद्य शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के ऐसे किसानो जिन्हें तौल पर्ची मिल चुकी है लेकिन सर्वर की समस्या के कारण उनसे खरीदा गया गेहूं अभी तक पोर्टल पर नहीं चढ़ाया जा सका है और स्लॉट की अवधि भी समाप्त हो गई है, उन किसानों की स्लॉट की अवधि डीएसओ लॉगइन के माध्यम से बढ़ाई जा रही है। यदि किसी खरीदी केन्द्र पर गेहूं का विक्रय करने वाले किसानों की संख्या बहुत हो रही अधिक है, तब ऐसी स्थिति में किसानों को अपने स्लॉट आसपास के ही दूसरे खरीदी केन्द्र पर ट्रांसफर कराने की सुविधा भी डीएसओ लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। भीड़भाड़ के कारण दूसरे खरीदी केंद्र पर स्लॉट ट्रांसफर कराने के इच्छुक किसानों की सूची कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों द्वारा बनाई जा रही है।

शुरू हुआ तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य

जबलपुर। जिले में रविवार से तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य प्रारंभ हो गया है। यह कार्य जिला लघु वन उपज सहकारी संघ मर्यादित के अंतर्गत संचालित प्राथमिक वन उपज सहकारी समितियों के माध्यम से किया जा रहा है। जिले में लगभग 29 समितियाँ कार्यरत हैं, जिन्होंने इस वर्ष लगभग 32 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहण का लक्ष्य निर्धारित किया है।

गर्मी के मौसम में जब खेती का कार्य सीमित हो जाता है, तब तेंदूपत्ता संग्रहण ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराता है और हजारों परिवारों की आय सुनिश्चित करता है। एक संग्राहक प्रतिदिन औसतन 125 गड्डी तेंदूपत्ता संग्रहित कर लेता है। प्रत्येक गड्डी में 50 पत्ते होते हैं। राज्य शासन द्वारा400 रुपये प्रति सैकड़ा गड्डी की दर से तेंदूपत्ता खरीदा जा रहा है, जबकि एक मानक बोरे का मूल्य 4 हजार रुपये निर्धारित है। जिले में तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य की निगरानी जिला लघु वन उपज सहकारी संघ के प्रबंध संचालक अर्थात जिले के वन मंडलाधिकारी करते है।

ज्ञापन सौंपा | पशु प्रेमियों ने घेरा थाना

श्वान को जिंदा जलाने वालों पर एफआईआर की मांग

नवभारत, जबलपुर। केंट थाना अंतर्गत सदर क्षेत्र स्थित मेहंदी बाग ग्राउंड में श्वान को जिंदा जलाने के विरोध में रविवार को पशु प्रेमियों ने थाने का घेराव कर दिया। आक्रोशिजनों ने आरोपियों पर एफआईआर की मांग की । साथ ही गश्त बढ़ाने और नशेड़ियों, तत्वों पर कार्रवाई की मांग की।

जानकारी अनुसार मेहंदी बाग ग्राउंड में नशेड़ियों ने एक काले रंग के बेजुबान श्वान को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया था । इस घटना के बाद से पशु प्रेमियों में आक्रोश देखा गया । रविवार को पशु प्रेमियों ने केंट थाने पहुंचकर कार्रवाई की मांग की उनका कहना रहा कि ग्राउंड लंबे समय से नशेड़ियों, संदिग्ध युवकों का अड्डा बना हुआ है

। जिनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। शनिवार को नशेड़ी गैंग ने अपनी सनक में एक मासूम बेजुबान को जिंदा जला दिया था। आक्रोशितजनों ने पुलिस गश्त बढ़ाने के साथ अपराध दर्ज करने की मांग की है।